Australian Government
Department of Agriculture and Water Resources

यदि मेरा खाद्य पदार्थ निरीक्षण में विफल रहे, तो क्या होता है?

ऑस्ट्रेलिया में आयातित समस्त खाद्य पदार्थ आयातित खाद्य पदार्थ नियंत्रण अधिनियम 1992 (Food Control Act 1992) (अधिनियम) की आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए। अधिनियम के अंतर्गत लागू मानक वे मानक हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलियाई और न्यू ज़ीलैंड खाद्य पदार्थ मानक कोड (Australian and New Zealand Food Standards Code) में निर्धारित किया गया है।

आयातित खाद्य पदार्थ निरीक्षण स्कीम (Imported Food Inspection Scheme) (आईएफआईएस) के अंतर्गत खाद्य पदार्थ मानक कोड के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए खाद्य पदार्थों का प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और जांच की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में आयात किए जाने वाले खाद्य पदार्थ को दो निरीक्षण श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- जोखिम
- सतर्कता।

इन श्रेणियों द्वारा जांच की बारंबारता और अनुप्रयोजित की जाने वाली जांचों (tests) को निर्धारित किया जाता है।

जब किसी सतर्कता खाद्य पदार्थ को ऑस्ट्रेलियाई मानकों के अनुसार नहीं पाया जाता है, तो विभाग द्वारा धारण आदेश (होल्डिंग आर्डर) जारी किया जा सकता है। धारण आदेश अधिनियम के अंतर्गत एक कानूनी व्यवस्था होता है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि विफल खाद्य पदार्थ के भावी तुलनीय कंसाइन्मेंट्स को यह सुनिश्चित करने के लिए विभाग के पास भेजा जाए कि जिस कारण से खाद्य पदार्थ विफल रहा था, उसे दूर कर दिया गया है।

धारण आदेश के अंतर्गत आने वाले खाद्य पदार्थ का 100 प्रतिशत की दर से निरीक्षण किया जाएगा, जिससे कि भावी कंसाइन्मेंट्स की निगरानी की जा सके और इस बात की पुष्टि की जा सके कि विनिर्माता या आयातक द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की गई है कि अब खाद्य पदार्थ ऑस्ट्रेलियाई मानकों के अनुरूप है।

धारण आदेश तब तक लागू रहता है जब तक धारण आदेश के अंतर्गत आने वाले खाद्य पदार्थ के संदर्भ में यह जानकारी नहीं मिल जाती है कि अब यह खाद्य पदार्थ निरन्तर रूप से ऑस्ट्रेलियाई मानकों के अनुसार है। ऐसा सामान्यत: तब होता है जब पांच निरन्तर कंसाइन्मेंट्स ऑस्ट्रेलियाई मानकों की कसौटी पर खरे पाए जाते हैं।

प्रथम निरीक्षण में विफल रहने वाले खाद्य पदार्थ का क्या होता है? (What happens to a food that fails the first inspection?)

निरीक्षण में विफल रहने वाले आयातित खाद्य पदार्थों के स्वामियों के पास निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं:

- खाद्य पदार्थ को अनुपालनीय बनाया जाए
- खाद्य पदार्थ को डाउनग्रेड किया जाए (यदि लागू हो, तो)
- खाद्य पदार्थ को निर्यात किया जाए
- खाद्य पदार्थ को नष्ट कर दिया जाए।

आयातक की यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी होती है कि आयातित खाद्य पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत लागू मानकों की कसौटी पर खरा उतरता है। अधिनियम की कसौटी पर खरा न उतरने वाले किसी भी खाद्य पदार्थ का जानबूझकर आयात करना अधिनियम के अंतर्गत एक अपराध है।

मुझे कैसे पता लगेगा कि खाद्य पदार्थ को धारण आदेश के अंतर्गत रखा गया है? (How do I know if a food is subject to a holding order?)

निरीक्षण से पहले विभाग द्वारा जारी खाद्य पदार्थ नियंत्रण प्रमाणपत्र में आयातकों को यह बताया जाएगा कि कंसाइन्मेंट में शामिल किसी खाद्य पदार्थ को धारण आदेश के अंतर्गत रखा गया है। धारण आदेश के अंतर्गत रखे गए खाद्य पदार्थ के लिए तब तक जारी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि खाद्य पदार्थ को निरीक्षण या निरीक्षण और विश्लेषण में सही नहीं पाया जाता है।

ऐसे खाद्य पदार्थों की कोई प्रकाशित सूची नहीं है जिन्हें धारण आदेश के अंतर्गत रखा जाता है; विभाग द्वारा मूल आयातक को यह बताया जाएगा कि खाद्य पदार्थ विफल रहा है। विभाग कानूनी रूप से खाद्य पदार्थ आयातकों की जानकारी रखने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है और इस जानकारी को गोपनीय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

क्या धारण आदेश के अंतर्गत आने वाले खाद्य पदार्थ को ऑस्ट्रेलिया में लाए जाने की अनुमति होगी और यदि खाद्य पदार्थ विफल रहे, तो क्या होता है? (Will food on a holding order be allowed into Australia and what happens if the food fails?)

खाद्य पदार्थ के कंसाइन्मेंट पर लगाए जाने वाले धारण आदेश का अर्थ यह नहीं है कि खाद्य पदार्थ को अगली बार आयात किए जाते समय ऑस्ट्रेलियाई बाज़ार में नहीं आने दिया जाएगा।

यदि आयातक या स्वामी ने प्रारम्भिक समस्या को ठीक करने की व्यवस्था कर दी है और खाद्य पदार्थ को निरीक्षण में सही पाया जाता है, तो खाद्य पदार्थ को वितरण के लिए जारी किया जा सकता है, और इसे धारण आदेश के अनुरूप सफल माना जाएगा। लेबल संबंधी कुछ कमियों को आयात के समय और निरीक्षण से पहले आयातित खाद्य पदार्थ निरीक्षण स्कीम के अधिकारियों द्वारा ठीक किया जा सकता है।

धारण आदेश को कैसे रद्द किया जाता है? (How is a holding order revoked?)

निम्नलिखित स्थितियों में धारण आदेश को रद्द किया जा सकता है, यदि:

- पांच क्रमागत कंसाइन्मेंट्स निरीक्षण या निरीक्षण और विश्लेषण में सही पाए जाते हैं, या
- मानक या जांच आवश्यकताएँ बदल जाती हैं और धारण आदेश अब उचित नहीं रहता है, या
- ऑस्ट्रेलियाई सरकार के कृषि विभाग के सचिव को इस साक्ष्य के साथ जानकारी प्रदान की जाती है कि खाद्य पदार्थ खाद्य मानक कोड के अनुसार उपयुक्त है।

एक बार धारण आदेश को रद्द कर दिए जाने के बाद धारण आदेश के अधीन खाद्य पदार्थ की रेफरल दर को निरीक्षण की सतर्कता दर पर वापिस ले जाया जाता है।